

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936

No. 332]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2015

का.आ. 422(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 (क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपने नाम और पते के अतिरिक्त फोन, फैक्स, मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई.डी भी दें।

संशोधन:

दिए गए भूमि वितरण के अनुसार विशिष्ट अनुमेय उपयोग गतिविधियों के विकास मानकों के रूप में 'पुलिस लाइन' के विकास नियंत्रण मानकों में दिल्ली मुख्य योजना-2021 के प्रस्तावित संशोधन दिल्ली मुख्य योजना-2021 के खण्ड 13.5 सुरक्षा-पुलिस की तालिका संख्या 13.11 में उपलब्ध नहीं हैं।

संशोधन (1):—

तालिका 13.11 में क्रम संख्या 4 में पुलिस लाइन के लिए विकास नियंत्रण मानकों को तालिका 13.11 में शामिल किया गया है।

तालिका 13.11 सुरक्षा (पुलिस) सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण

क्र. सं.	श्रेणी	अधिकतम			अन्य नियंत्रण
		भूमि कवरेज	एफ.ए.आर.	ऊँचाई	
1.	पुलिस पोस्ट	35%	150	15 मी0	1. अधिकतम एफ.ए.आर. के 30% तक का प्रयोग अनिवार्य स्टॉफ के आवास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ²[तालिका के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार पुलिस स्टेशन को छोड़कर]** 2. पार्किंग मानक 2.00 ई.सी.एस/ 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल की दर से। 3. बड़े हुए विकास नियंत्रण के कारण पुलिस स्टेशन में उपलब्ध अतिरिक्त स्थान को सिविल डिफेन्स और होम गार्ड आदि की स्थापना के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। 4. पुलिस प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज में अधिकतम एफ.ए.आर. के 15% तक का प्रयोग अनिवार्य स्टाफ और विद्यार्थियों के आवास/हॉस्टल के लिए किया जा सकता है। 5. तहखाने आदि से संबंधित अन्य नियंत्रण विकास संहिता अध्याय में दिए गए हैं।
2.	पुलिस स्टेशन	30%	[450 200] **	26 मी0	
3.	जिला कार्यालय और बटालियन	30%	120	26 मी0	
4.	'''पुलिस लाइन				
	भूमि वितरण: (कुल भूमि का)				
	(i) प्रशासन कुल भूमि का 20%	30%	120	37 मी0	
	(ii) आवासीय कुल भूमि का 30%	1. समूह आवास के विनियम लागू होंगे। 2. भूमि, आवासीय मानकों के अनुसार सुविधाओं हेतु आरक्षित होगी।			
	(iii) खेलकूद व सुविधाएं कुल भूमि का 10%	10%	15	26 मी0	
	(iv) खुली जगह कुल भूमि का 40%	लागू नहीं			
5.	जिला जेल	30%	120	26 मी0	
6.	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज*	30%	120	26 मी0	
7.	पुलिस फायरिंग रेंज	12.5%	25	9 मी0	
8.	केन्द्रीय पुलिस संगठन/सुरक्षा बल सहित पुलिस कैंप*	12.5%	25	9 मी0	
9.	यातायात और पुलिस नियंत्रण कक्ष	1. स्थल की व्यवहार्यता के आधार पर सड़क मार्गाधिकार के भाग के रूप में प्रमुख सड़क जंक्शनों/स्ट्रेचों पर आवश्यकता के अनुसार 2. अधिकतम क्षेत्रफल—25 वर्ग मीटर			

*केन्द्रीय सुरक्षा बल सहित।

²[**200 तल क्षेत्रफल के अनुपात के प्लॉट का 60% पुलिस स्टेशन के लिए उपयोग किया जाएगा और 400 तल क्षेत्रफल अनुपात के प्लॉट का 40% पुलिस कार्मिक आवास हेतु उपयोग किया जाएगा। जबकि अन्य विकास नियंत्रण मानक अर्थात् तल कवरेज, सैट-बैक और पार्किंग की आवश्यकता आदि तालिका 13.11 और पैरा 4.4.3 बी. में दिए गए अनुसार क्रमशः आवासीय प्लॉट—समूह आवास होंगे। विद्यमान पुलिस स्टेशन स्थल भी उपर्युक्त प्रावधानों के लिए पात्र होंगे।]

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दिल्ली मुख्य योजना—2021 का पाठ उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में उप-निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठा तल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[फा. सं. एफ. 20(24)2014/एम.पी.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

***उपर्युक्त तालिका 13.11 में जोड़े गए प्रस्तावित विकास नियंत्रण मानक

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 10th February, 2015

S.O. 422(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section 11-A of DD Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi 110023 within a period of forty five days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address in addition to phone, fax, mobile number and Email ID.

MODIFICATIONS

Proposed Modification of MPD-2021 in Development Control Norms of 'Police Line' as Development Norms of specific permissible use-activities as per Land-Distribution given within are not available in the **Table No: 13.11 of Clause 13.5 Security-Police** of MPD-2021.

Modification (1):

Development Control Norms for Police Line at Sl.No.4 in Table 13.11 are added in Table 13.11.

Table 13.11: Development Controls for Security (Police) Facilities

Sl. No.	Category	Maximum			Other Controls
		Ground Coverage	FAR	Height	
1	Police Post	35%	150	15 m.	
2	Police Station	30%	¹ [150 200**]	26 m.	1. Upto 30% of max. FAR can be utilized for residential use of essential staff ² [(except Police Station which will as per ** of Notes below the Table).]
3	District Office and Battalion	30%	120	26 m.	2. Parking standard @ 2.00 ECS/100 sq. m. of floor area.
4	***Police Lines –				3. Additional space available in police station due to increased development controls shall be used for locating Civil Defence and Home Guards etc.
	Land Distribution (of Total Land)				4. Upto 15% of max. FAR can be utilized for residential use/hostel for essential staff and student accommodation, in Police Training Institute/college.
	i) Administration- 20% of total land	30%	120	37 m.	5. Other controls related to basements etc. are given in the Development Code chapter.
	ii) Residential - 30% of total land	1. Regulations for group housing shall apply. 2. The land shall be reserved for facilities as per residential norms.			
	iii) Sports & Facilities 10% of total land	10%	15	26 m.	
	iv) Open Space 40% of total land		NA		
5	District Jail	30%	120	26 m.	
6	Police Training Institute / College*	30%	120	26 m.	
7	Police Firing Range	12.5%	25	9 m.	
8	Police camp including Central Police Organization /Security Forces*	12.5%	25	9 m.	
9	Traffic and police control room	1.	As per requirement on major road junctions / stretches etc. as part of road right of way based on site feasibility.		
		2.	Maximum area = 25 sq m.		

* Including Central Security Forces

²[** 60% of the plot land shall be utilized for the Police Station with 200 FAR and 40% of the plot land shall be utilized for Police Personnel Housing with 400 FAR. Whereas other Development Control Norms i.e., ground coverage, set-back and parking requirement, etc. shall be as prescribed in Table 13.11 and para 4.4.3.B Residential Plot-Group Housing, respectively. Existing police station sites shall also be eligible for afore-said provision.]

The text of MPD -2021 indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Dy. Director (MP), Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[F. No. F. 20(24)2014/MP]

D. SARKAR, Commissioner -cum-Secy.

*** Proposed Development Control Norms added in above Table 13.11